

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - डॉ० साधना शर्मा, आरए०ए०एस०

प्रकरण संख्या-28/2021

जीसीएमएस पोर्टल नम्बर:- 2021/62

उनवान:-

राजेन्द्र सिंह पुत्र भूपसिंह जात जाटव निवासी ग्राम डण्डौली पोस्ट दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर राजस्थान

.....वादी

बनाम

1. माया पुत्री विपती पत्नी शिवचरन उम्र करीब 60 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्राम डण्डौली पोस्ट दुबाटी तहसील मनियां हाल निवासी नगला अजीता पोस्ट जगदीशपुरा तहसील आगरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश
2. हरिविलास पुत्र नेकसिया उम्र करीब 70 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्राम डण्डौली पोस्ट दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर हाल निवासी मनखेडा पोस्ट मनखेडा तहसील आगरा उत्तर प्रदेश।
3. उत्तम सिंह पुत्र चौखरिया उम्र करीब 58 वर्ष।
4. रमेश चन्द पुत्र चौखरिया उम्र करीब 65 वर्ष
5. गिरीश पुत्र भूप सिंह उम्र करीब 35 वर्ष
6. भूरालाल उर्फ दुर्गसिंह पुत्र भूपसिंह उम्र करीब 45 वर्ष
7. मुन्नालाल पुत्र भूपसिंह उम्र करीब 43 वर्ष  
समस्त जातिगण जाटव निवासी ग्राम डण्डौली पोस्ट दुबाटी तहसील मनियां जिला धौलपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनियां जिला धौलपुर।

..... प्रतिवादीगण


दावा बाबत बटवारा काश्त एवं  
हुक्म इम्तनाई दवामी  
दिनांक.....

### निर्णय

वादी ने विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 29.06.2021 को एक राजस्व वाद बाबत बटवारा काश्त व स्थाई निषाधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 06.08.2024 को प्रारंभिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार मनियां के पत्रांक 25.07.2025 विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार मनियां के द्वारा प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा तहसीलदार मनियां से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों



  
उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज०)

के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी बांके ग्राम अतिराजपुरा पटवार हल्का विरौंधा व ग्राम डण्डोली तहसील मनियां व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	ख.नं.	रकवा (है)
1	राजेन्द्र, मुन्ना, दुर्ग, गिरीश पि० भूपसिंह हि.ब. जाति जाटव सा. डण्डोली खातेदार	अतिराज का पुरा	42 / 1 44 / 3	0.0464 0.1159
2	राजेन्द्रसिंह, गिरीश, मुन्नालाल, भूरालाल पि० भूपसिंह हि०व० जाति जाटव सा.देह खातेदार	डण्डोली	371 / 3	0.0527
3	माया पुत्री विपती कौम जाटव हि.पूर्ण. डण्डोली खातेदार	अतिराज का पुरा	42 / 2 44 / 2	0.0464 0.1159
		डण्डोली	371 / 4	0.0527
4	हरिविलास पुत्र नेकसिया हि.पूर्ण कौम जाटव सा० डण्डोली खातेदार	अतिराज का पुरा	42 / 3 44 / 1	0.0463 0.1160
		डण्डोली	371 / 5	0.0527
5	रमेशचन्द्र पुत्र चोखरिया जाति जाटव सा. डण्डोली खातेदार	अतिराज का पुरा	42 / 4 44 / 4	0.0695 0.1739
		डण्डोली	371 / 2	0.0790
6	शिवदत्त, मलखान, जनार्दन पुत्रान व मंजू, विजयरानी, राजावेटी, प्रीती, संजू पुत्रीयान उत्तमसिंह जाति जाटव हि०व. सा. डण्डोली खातेदार	अतिराज का पुरा	42 / 5 44 / 5	0.0696 0.1738
		डण्डोली	371 / 1	0.0790

आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० साधना शर्मा )  
उपखण्ड अधिकाारी  
धौलपुर (राज०)